TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान्नीय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य, प्रदेश,

निगरानी प्र.क्र. R295-I/17 सन् 2017

(37)

गोरेलाल तनय फाती पटेल ,

2. भोला तनय गोरेलाल पटेल,

3. श्रीमतिसंता पत्नी भोलापटेल नि.ग्रा. खमिनखेड़ा

तह. गौरिहार सर्किल सरवई जिला- छतरपुर म.प्र. -- ---- आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज 1-5-17 को प्रस्तुत

राजस्व मंडल

बनाम

विनोद कुमार तनय रामकिशोर पटेल नि.ग्रा. खमिनखेड़ा

तह. गौरिहार जिला- छतरपुर म.प्र. -- -- अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

निग. विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला- छतरपुर के प्र.क्र. 67/अपी./2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27-3-17 के बावत् ।

9/4/96

श्रीमान्

आवेदकगण निम्नांकित सादर विनय प्रस्तुत करते है :-

1. यह कि संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार महोदय, सरवई तह. गौरिहार से राजस्व प्रकरण क्र.697/बी-121. 2015-16 में पारित आदेश दिनांक - 24-9-16 से दुखित होकर बी.पी.एल. के सम्बंध में यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन थी ।

2. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आवेदक के आवेदन बिना अतिरिक्त साक्ष्य व अतिरिक्त दस्तावेज अपीलीट कोर्ट को स्वत: लेने

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1295–एक/2017 जिला–छतरपुर

गोरेलाल आदि विरूद्ध विनोद कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 67/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27–03–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 07–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 26/4	